



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 10/2026/D-35

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 287273 दिनांक 13/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Sunita W/o madan lal chanwariya	श्री बिजय गौराई पुत्र श्री आनन्द गौराई	10/IBC/22	100.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD- LAKHESRA	Name Transfer	जविप्रा की रिंग रोड लखेसरा परियोजना के भूखण्ड संख्या 10/आईबीसी/22 क्षेत्रफल 100.00 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 26.09.2016 क्रमं ाक 245 को श्री बिजय गौराई पुत्र श्री आनन्द गौराई के पक्ष में जारी की गयी। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड को लीजडीडधारी द्वारा दिनांक 20.10.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्री श्री कैलाश नारायण शर्मा पुत्र श्री हरिनारायण शर्मा को बेचान किया गया एवं उक्त भूखण्ड को कैलाश नारायण शर्मा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2020 को श्रीमती सुनीता पत्नी श्री निगम को बेचान किया गया। प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय, फोटो मय आईडी, पूर्व में जारी लीजडीड, वाद-विवाद शपथ पत्र अपलोड किये गये हैं।
---	---------------------------------------	--	-----------	---------------------	-----	---------------------------	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sunita W/o madan lal chanwariya को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |